बंटवाड़ा अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी के वाद की ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

— : आदेश :—

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीनी चम्पा के हक बंट कब्जे काश्त एवं खातेदारी में मौजा अजबपुरा का खसरा नम्बर 284/275 रकबा 2.5579 हैक्टेयर में से रकबा 1.27895 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी गोपालराम के हक बंट कब्जे काश्त एवं खातेदारी में मौजा अजबपुरा का खसरा नम्बर 284/275 रकबा 2.5579 हैक्टेयर में से रकबा 1.27895 हैक्टेयर उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।
4. उक्त खसरान में बैक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 11-5-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner